



रजि. नं. एल. डब्लू./एम. पी. 890

साहस्रं नं० डब्लू० पी०-41

साहस्रं नं० डब्लू० पी०-41

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 7 फरवरी, 1998

माघ 18, 1919 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 298/सत्रह-वि-1-1(क)-2-1998

लखनऊ, 7 फरवरी, 1998

अधिसूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 6 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 को निरसित करने के लिये अधिनियम

[भारत गणराज्य के सत्तासर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 28 दिसम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988 का निरसन

निरसन

3--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 एतद्वारा  
निरसित किया जाता है।

श्रीमान् श्री,  
गणेश शंकर पाण्डेय,  
विशेष सचिव।

No. 298(2)/XVII-V-1-1(KA)-2-1998

Date Lucknow, February 7, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinastha Seva Chayan Aayog (Nirasan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 6, 1998.

**THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION  
COMMISSION (REPEAL) ACT, 1998**

(U.P. Act No. 5 of 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

to repeal the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 1988.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Repeal) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 28, 1997.

Repeal of U.P.  
Act no. 7  
of 1988

2. The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 1988 is hereby repealed.

Repeal

3. The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Repeal) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

By order,  
G. S. PANDEY,  
Vishesh Sachiv.